

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम फागी पश्चिम के खाता सं. 20 खसरा नं. 6545 में आवेदन पत्र अनुसार हनुमान पुत्र बिरहीचन्द के बजाय हनुमान प्रसाद तिवारी पुत्र बिरहीचन्द तिवारी शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत फागी में दिनांक 30-5-25 को मजमेआम में सुनाया गया।

30/5/25,